न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

प्रथम लिंक अधिकारी

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2026-189Ju2026-91 Hadman ors Vs Jhamakudevi etc

---

1. हड़मान पुत्र हरीराम
2. वीराराम पुत्र हरीराम
3. मृतक नेमाराम पुत्र बनाराम के कायम मुकाम:–
   3.1.मुकेश पुत्र नेमाराम
   3.2.भटाराम पुत्र नेमाराम
   3.3.केलकी पुत्री नेमाराम
   3.4.पानीदेवी बेवा नेमाराम
4. गोविन्द पुत्र धनाराम
5. बीमाराम पुत्र धनाराम
6. कंकुदेवी बेवा धनाराम
7. पपु पुत्र जसराज
8. सुखादेवी बेवा जसराज

सभी जातियान भील निवासीयान रामसीन तह. पचपदरा जरीये आममुख्त्यार पपु पुत्र जसराज जाति भील निवासी भीलों का वास मूंगड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा (राज.)।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. झमकुदेवी बेवा केसाराम
2. जगदीश पुत्र केसाराम
3. अशोक पुत्र केसाराम

सभी जातियान घांची निवासीयान बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा।

4. रामेश्वर पुत्र बंशीलाल
5. सुरेश पुत्र बंशीलाल
6. प्रकाश पुत्र बंशीलाल
7. सुआदेवी बेवा बंशीलाल

सभी जातियान मेगवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा।

8. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।
9. जयप्रकाश गोयल पुत्र रामकिशोर जाति अग्रवाल, निवासी– बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर बालोतरा दिनांक 26 फरवरी 2026 राजस्व वाद संख्या 49/2025 हड़मान व अन्य बनाम झमकूदेवी इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व दो

श्री दिनेश अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पांच

श्री प्रेमसिंह सिसोदिया, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक : 23 अप्रैल 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 49/2025 हड़मान व अन्य बनाम झंमकूदेवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 फरवरी 2026 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 18 मार्च 2026 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात मौज़ा रामसीन तहसील पंचपदरा के पुराने खेत खसरा संख्या 526 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा के संबंध में धारा 88, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में जीवा पुत्र वाला कौम भील की खातेदारी में दर्ज थी। वादीगण जीवा के विधिक वारिसान है। जीवा के फौत होने पर उसका पुत्र गोबरिया काश्तकार हुआ। गोबरिया ने अपने जीवन काल में कभी भी वादग्रस्त आराजी का बेचान रावता पुत्र चैनाराम को नहीं किया। वादीगण/अपीलकर्तागण भील (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य है तथा रावता पुत्र चैनाराम मेघवाल (अनुसूचित जाति) का सदस्य है, इस कारण इस पर धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागु होते है और ऐसा बेचान/डिक्री किया जाता है तो वह प्रारम्भ से शून्य होती है। राजस्व गांव रामसीन तहसील पचपदरा में हुए द्वितीय सेटलमेन्ट में छोटी जरीब (132 फीट गुणा 132 फीट) से बड़ी जरीब (165 फीट गुणा 165 फीट) किया गया, इस कारण खसरा संख्या 526 रकबा 08 बीघा 04 विस्वा मौजा रामसीन के सहवन से 1.17 बीघा भूमि कम करते हुए नये खसरा संख्या 477 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा बने, उक्त 1.17 बीघा भूमि (वादग्रस्त आराजी) नये खसरा संख्या 478 रकबा 04 बीघा 03 विस्वा में शामिल कर दी गई। वादीगण/अपीलकर्तागण द्वारा अपने अनुतोष में खसरा संख्या 478 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा में से कम की गई उक्त रकबा 1.17 बीघा भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान में भूमि नगर परिषद् बालोतरा के नाम दर्ज है तथा जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होने से वर्तमान वाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। साथ ही वाद म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है, इस कारण वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2026 के जरिये खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, उक्त प्रावधान के तहत केवल वाद पत्र के तथ्यों को ही पढ़ा जा सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र के अभिवचनों से विपरित जाकर अन्य तथ्यों का समावेश कर बिना विधिक आधार के आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वक्त सेटलमेन्ट के दौरान खसरे के रकबे में हुई त्रुटि को सुधार कर खातेदारी की घोषणा चाही गयी है, जिसकी सुनवाई करनें का पूर्ण क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलकर्तागण/वादीगण को बिना सुने प्रतिवादीगण के प्रभाव में आकर अत्यधिक शीघ्रता दिखाते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय को दावा प्रस्तुति के रोज वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड वं कब्जे की स्थिति को देखना होता है। यह स्वीकृत तथ्य है कि दावा प्रस्तुति के रोज वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि थी तथा उसके खातेदार उत्तरदाता संख्या 1 ता 3 थे। दावा दर्ज होने के बाद अदालत की बिना अनुमति के वादग्रस्त आराज़ी के राजस्व रेकर्ड में किया गया बदलाव धारा 52 सम्पति अन्तरण अधिनियम के तहत बाधित है। वर्तमान प्रकरण में वादग्रस्त आराजी को दावा दर्ज होने के बाद शोमोटो दिनांक 11.04.2025 को किस्म में परिवर्तन कर नगर परिषद बालोतरा के नाम दर्ज करवायी गयी, उक्त कृत्य अवैध व प्रारम्भ से ही शून्य है तथा ऐसे परिवर्तन से दावें की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में नगर परिषद बालोतरा न तो उचित पक्षकार है और न ही आवश्यक पक्षकार है, यहां तक की नगर परिषद बालोतरा को पक्षकार बनाना भी आवश्यक नहीं है। जहां पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, क्षेत्राधिकार का बिन्दु तथ्य एवं कानून का मिश्रित प्रश्न है, जिस पर उत्तरदातागण के जवाबदावा आने के पश्चात् प्राथमिक तनकी कायम कर तय किया जाता है, यानि उत्तरदाता के तमाम उजरात (तथ्यों) जवाबदावा के जरीये अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये जाते है तथा दोनों पक्षों की साक्ष्य सबूत के बाद निर्णित करना होता है। ऐसे तथ्यों को प्रार्थना पत्र के जरीये उठाकर निस्तारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र के अभिवचनों से विपरित जाकर भिन्न तथ्यों का समावेश कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये किये गये है। कानूनन किसी भी पक्षकार के अधिकारों की घोषणा जो कि कृषि भूमि के सम्बन्ध में है, ऐसे वाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है तथा पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है। वादीगण द्वारा अपने वाद में स्पष्ट तौर पर अभिवचन करते हुए वाद प्रस्तुत किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय व डिक्री में वाद किस विधि के तहत बाधित है, कही पर भी अंकित नहीं किया है, साथ ही वाद के अभिवचनों से बाहर जाकर प्रार्थना पत्र का गलत रूप से निस्तारण किया गया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 फरवरी 2026 को निरस्त किया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्तागण–रेस्पो. ने कथन किया कि रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त खसरा संख्या 477 रकबा 3.15 बीघा के रेकर्डेड खातेदार है तथा उनके धारा धारा 90 ए लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत नगरपरिषद बालोतरा के नाम दर्ज करवायी है, जो वर्तमान में नगर परिषद के खाते में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि नगर परिषद खाते में दर्ज होने के उपरांत भी वादीगण द्वारा अपने वाद में नगर परिषद को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि नगर परिषद बालोतरा के नाम भूमि धारा 90ए के तहत वर्तमान वादपत्र प्रस्तुत होने से पूर्व ही दर्ज हो चुकी थी। इस कारण वादीगण का वाद पक्षकारान् के कुसंयोजन से बाधित है। अपीलांट्स का यह भी कथन है कि रेस्पो. संख्या 01 से 03 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 478 में गलत तौर से वादीगण के मालिकाना, खातेदारी की भूमि का 01.17 बीघा सम्मिलित की गई है तथा खसरा संख्या 477 में 1/2 हिस्सा गलत तौर से दर्ज किया गया है। इस संबंध में निवेदन है कि अपीलांट्स द्वारा वर्तमान वाद में संपूर्ण तथ्यों को को छिपाया गया है। अपीलांट्स/वादीगण स्वंय ने लिखित दस्तावेज में यह संस्वीकृति दी है, कि जो भूमि खसरा संख्या 477 में वादीगण के नाम दर्ज हुई, ऐसी भूमि हरीराम, जसराज पि. गोबरिया, कंकूदेवी बेवा धनाराम, नेमाराम, गोविन्दराम, खीमाराम पि. धनाराम कौम भील निवासी रामसीन के द्वारा खसरा संख्या 477 में मात्र 1/2 हिस्सा ही होना स्वीकार कर, अपने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 477 रकबा 3.15, बीघा में 1/2 हिस्सा होना लिखित रूप से संस्वीकृत कर जरिए सप्रतिफल पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 12.01.2012 को मूलाराम पुत्र निम्बाराम जाति भील निवासी बालोतरा को बेचान किया गया। बेचाननामा में यह भी लिखित रूप से स्वीकार किया गया की भूमि खसरा संख्या 477 जिसका भाग वर्तमान वादीगण के द्वारा या उनके हकपूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 12.01.2012 को सप्रतिफल अन्तरित किया जा रहा है, उनके पड़ौस में अवस्थित खसरों में उनकी कोई भूमि नहीं है। क्योंकि ऐसे बेचाननामा के पद संख्या 06 में यह लिखित संस्वीकृति दी है, कि खसरा संख्या 477 तवदिशा उतर में खसरा संख्या 478 का रकबा है. बदिशा दक्षिण में खसरा संख्या का रकबा है, व बदिशा पूर्व में खसरा संख्या 473 व 479 का रकबा बदिशा पश्चिम में खसरा संख्या 500 का रकबा है। इसके अलावा उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भूमि खसरा संख्या 477 मुख्य सड़क पर भी अवस्थित नहीं होने का कथन पंजीकृत दस्तावेजात में किया गया है। विधि के अनुसार लिखित संस्वीकृति उतम साक्ष्य होती है, उसके विपरीत कथन करने से ऐसे पक्षकारान एवं उनके हित प्रतिनिधि विबन्धित जहां वादपंत्र, वादपत्र में वर्णित अभिवचनों एवं संलग्न दस्तावेजात से ही विधि द्वारा वर्जित हों, वंहा वादपत्र आरम्भिक अवस्था में ही खारिज योग्य है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पो. को परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर बिना वादकरण के ही वाद प्रस्तुत किया गया है जो वाद विधि द्वारा वर्जित है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादी का वाद विधिबाधित पाये जाने पर विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावल पर उपलब्ध अद्यतन अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 477 रकबा 0.9485 हैक्टेयर ग्राम रामसीन तहसील पचपदरा धारा 90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत संपरिवर्तित होकर नगर परिषद बालोतरा के नाम से दर्ज है। अपीलांट्स का कथन है कि वाद प्रस्तुति के वक्त वादग्रस्त आराजीयात की किस्म कृषि भूमि होकर रेस्पो. की खातेदारी में दर्ज थी। इस संबध में पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 1152 ग्राम रामसीन दिनांक 03.01.2014 के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात वाद प्रस्तुति से पूर्व ही आयुक्त नगर परिषद बालोतरा के आदेश दिनांक 20.12.2013 के जरिये नगर परिषद के नाम दर्ज हो चुकी है, जिससे वादीगण/अपीलांट्स का उक्त कथन मिथ्या साबित होता है। वादीगण द्वारा वाद में नगर परिषद बालोतरा को पक्षकार संयोजित किये बिना विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12 जनवरी 2012 के मुताबिक अपीलांट्स/वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 477 का रकबा 03.15 बीघा में अपना 1/2 हिस्सा ही स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजीयात का बेचान किया गया है। अपीलांट्स द्वारा उक्त विक्रय विलेख के पद संख्या पांच में यह स्वीकार किया गया है है कि **उक्त खातेदारी भूमि हक सम्पूर्ण बेचान पर अज आज से हमारा व हमारी आल–औलाद आदि का कोई कब्जा व हक खातेदारी का नहीं रहा है व न ही रहेगा।** अपीलांट्स द्वारा उक्त विक्रय विलेख में बेचान की गई भूमि की हदूदे दर्शायी गई है, जिससे अपीलांट्स की भूमि का रकबा बढने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अपीलांट्स द्वारा उक्त विक्रय विलेख में किये गये स्वीकृत तथ्यों से विपरीत जाकर इतनी लंबी अवधि बाद वादग्रस्त आराजीयात का रकबा 1.07 बीघा कम होने के कथन किये गये है जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खातेदारी अधिकारों का अंतरण कर दिये जाने के बाद वे वादग्रस्त आराजीयात मे किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं रखते है तथा न ही किसी प्रकार की चाराजोही का अधिकार रखते है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात वक्त सेटलमेंट से ही अपीलांट्स की खातेदारी में दर्ज रही है। अपीलांट्स एवं उनके पूर्वजों द्वारा इतनी लंबी अवधि में कभी भी वादग्रस्त आराजीयात के रकबे में कमी–बेशी के संबंध में सक्षम स्तर पर चाराजोही नहीं की गई है तथा उक्त अवधि में स्वयं अपने द्वारा किये गये रजिस्टर्ड हस्तांतरणों में अपनी आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे को ही स्वीकार किया गया है। अपीलांट्स द्वारा इतनी लंबी अवधि बाद उक्त आराजी के रकबे वृद्धि के कथन किये गये है जो विश्वसनीय नहीं ठहरते है एवं अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद समय सीमा से भी बाधित पाया जाता है।

वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात की किस्म परिवर्तन होने से राजस्व न्यायालय को उक्त आराजीयात के संबंध में सुनवाई का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण का वाद पक्षकारान् के कुसंयोजन, म्याद बाधित एवं श्रवणाधिकारिता से बाधित पाये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रूप से खारिज किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हे।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 49/2025 हड़मान व अन्य बनाम झमकूदेवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 फरवरी 2026 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर